आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

09/12/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-02/2017-2018

पतरस कच्छप ..... आवेदक

बनाम्

सुरेन्द्र चन्द्र घोष,
(1) दिलीप घोष
(2) नारायण चन्द्र घोष
(3) संतोष घोष
(4) आरती घोष
(5) रानी घोष
(6) सबिता घोष
(7) भुषण घोष
(8) छोटु चन्दन घोष
(9) रानु घोष ..... विपक्षीगण

आदेश

आवेदक पतरस कच्छप, पिता–स्व० विक्टर कच्छप, निवासी ग्राम–खिजरी, थाना–काँके, जिला राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि मेरी खतियानी जमीन विपक्षीगण सुरेन्द्र चन्द्र घोष, दिलीप घोष, नारायण चन्द्र घोष, संतोष घोष, आरती घोष, रानी घोष, सबिता घोष सभी के पिता–सुरेश चन्द्र घोष, भुषण घोष पिता–मधुसुदन घोष, छोटु चन्दन घोष पिता–गोपाल घोष, एवं रानु घोष, पिता–स्व० संध्या घोष सभी निवासी ग्राम–सदाबहार चौक, थाना–नामकुम, जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिया गया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
खिजरी	219	56	983	14 डी०

09/12/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में बनधना उराँव वल्द लेम्बा उराँव के नाम से कायमी दर्ज है।

आवेदक पतरस कच्छप खतियानी रैयत के वंशज है एवं आदिवासी समाज के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

आवेदकगण अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वर्णित भूमि आर॰एस॰ खतियान में बनधना उराँव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत बनधना उराँव, अपने पीछे स्व० डिबरू उरांव, चुलु उराँव (नावल्द), स्व० लुंगका उराँव (नावल्द) एवं स्व० जोसेफ उराँव को छोड़ गये। जोसेफ उराँव, अपने पीछे जोन कच्छप एवं विक्टर कच्छप को छोड़ गये है। विक्टर कच्छप अपने पीछे पतरस कच्छप (आवेदक), प्रेम कच्छप एवं जोन कच्छप को छोड़ गये। आवेदक पतरस कच्छप खतियानी रैयत के वंशज है। आवेदक के जमीन को विपक्षीगण सुरेन्द्र चन्द्र घोष, दिलीप घोष, नारायण चन्द्र घोष, संतोष घोष, आरती घोष, रानी घोष, सबिता घोष सभी के पिता–सुरेश चन्द्र घोष, भुषण घोष पिता–मधुसुदन घोष, छोटु चन्दन घोष पिता–गोपाल घोष, रानु घोष, पिता–स्व० संध्या घोष सभी निवासी ग्राम–सदाबहार चौक, थाना–नामकुम, जिला–राँची ने रकवा–14 डिसमिल भूमि को छल प्रपंच के द्वारा अवैध रूप से दखल कर लिये है।

विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें कहते है कि आवेदक की ओर से मुन्सिफ न्यायालय, राँची में एक टाईटल सुट दाखिल किया गया था, जिसका टाईटल सुट वाद सं०–910/1962 है। जिसमें सुरेश चन्द्र घोष 'बनाम् जोसेफ कच्छप उराँव है, इसमें वादी और प्रतिवादी के बीच दिनांक–15.12.1962 को आपसी समझौता के आधार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। जिसमें वादी सुरेश चन्द्र घोष के पक्ष में आदेश पारित हुआ तथा

कृ०पृ०उल्टे

डिक्री भी बन गया। विपक्षीगण 1962 से ही दखल कब्जा के साथ घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। इस टाईटल सूट के विरूद्ध में आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं किया गया, जिस कारण वाद कालबाधित है। विपक्षी सुरेश चन्द्र घोष की मृत्यु हो गई इसकी सूचना न्यायालय में दिया गया। आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित को विपक्षीगण बनाया गया है :–(1) दिलीप घोष (2) नारायण चन्द्र घोष (3) संतोष घोष (4) आरती घोष (5) रानी घोष (6) सबिता घोष (7) भुषण घोष (8) छोटु चन्दन घोष एवं (9) रानु घोष। विपक्षीगण वर्णित भूमि पर अपने नाम पर अंचल से रसीद कटवाते आ रहें है तथा निंबधित पट्टा भी करवायें हैं साथ ही बिजली कनेक्शन लिए हुए है और कहते है कि यह वाद 55 वर्ष बाद लाया गया है, जो कालबाधित है, जिस कारण यह वाद खारिज करने योग्य है।

आवेदक को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया किंतु न्यायालय में लम्बे समय तक आवेदक अपना गवाह प्रस्तुत नहीं किये। इस संबंध में विपक्षी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि आवेदक के गवाह को बन्द किया जाए और विपक्षीगण को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाय। इसे स्वीकार करते हुए विपक्षी को गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा दो गवाह प्रस्तुत किया गया।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया साथ ही लिखित बहस दाखिल करते हुए कहते हैं कि आवेदक द्वारा वाद लाया गया किंतु लम्बे समय से अनुपस्थित रहें तथा कभी–कभी ही उपस्थित हुए है। विपक्षीगण मौजा–खिजरी, खाता सं०–56, प्लॉट–983, को टाईटल सूट सं०–910/1962 में डिक्री मात्र 10 (दस) डिसमिल पर हुआ है और इसी 10 (दस) डिसमिल भूमि पर दखल–कब्जा के साथ पक्का मकान बनाकर 1962 से निवास कर रहें है, जो कि लगभग 62 वर्ष हो चुका है। टाईटल सूट के बाद आलय देवी, पति–सुरेश चन्द्र घोष ने अलग–अलग निबंधित पट्टा से वर्णित भूमि को खरीदा जिसका रजिस्टर्ड डीड नं०–4317, दिनांक–12.06.1962 है एवं श्रीमती लखी बाला गोपनी, पति–सुबोध चन्द्र गोप ने सुरेन्द्र चन्द्र घोष से जमीन खरीदा जिसका निबंधित पट्टा सं०–4322

दिनांक–12.06.1963 है। तत्पश्चात इन्होंने नामकुम अंचल, राँची में दाखिल–खारिज करवा कर अपने नाम पर मालगुजारी देते आ रहें है। आवेदक द्वारा लाया गया वाद 62 वर्ष बाद लाया गया है जो कालबाधित है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत वाद चलने योग्य नहीं है। विपक्षी की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये 01 नारायण चन्द्र घोष 02 सूरज दीप सिंह इन्होंने अपने केस को सर्पोट किये है। विपक्षी की ओर से निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया, सुरेश चन्द्र घोष की मृत्यु प्रमाण पत्र, टाईटल सूट सं०–910/1962 के आदेश की छायाप्रति, श्रीमती आलय देवी की निबंधित पट्टा की छायाप्रति, श्रीमती लखीबाला गोपिनी के निबंधित पट्टा की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, पंजी–02 की छायाप्रति एवं बिजली बिल की छायाप्रति।

अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं लिखित बहस तथा संलग्न कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह वाद कालबाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। अतः इस वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

9/12/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.31 16:13:19 +05:30
Location: 192.168.35.39